<u>न्यायालय–सिविल जज (एस०डी०)/ए०सी०जे०एम०, कसया, कुशीनगर</u>

<u>मुकदमा संख्या–78/2017,</u>

सरकार　　　　　　　　　　प्रति　　　　　　　　　　शत्रुध्न सिंह आदि।

मु०अप०सं०–463/2016,
धारा– 323, 504, 506, 452 भा.दं.सं.,
थाना–कुबेरस्थान, जनपद– कुशीनगर।

<u>आरोप</u>

मैं, शैलेश पाण्डेय, सिविल जज (एस.डी.)/ए.सी.जे.एम., कसया, कुशीनगर, आप अभियुक्तगण **1. शत्रुध्न सिंह** तथा **2. विपिन सिंह** पर निम्नांकित आरोप लगाता हूँ –

प्रथम– यह कि आप अभियुक्तगण उपरोक्त ने दिनांक 29–11–2016 को समय लगभग 6 बजे सुबह, बहद ग्राम सेमरा हर्दो, थाना–कुबेरस्थान, जिला–कुशीनगर में वादी मुकदमा अर्जुन सिंह को उपहति कारित करने के आशय से लात, मुक्का, थप्पड़ तथा लाठी –डण्डों से स्वेच्छया मार –पीटकर उपरोक्त चोटिल को साधारण प्रकृति की उपहतियाँ कारित किया और उसके द्वारा आप अभियुक्तगण ने ऐसा अपराध कारित किया जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा **323** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध की कोटि में आता है और मेरे संज्ञान में है।

द्वितीय– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप अभियुक्तगण ने वादी मुकदमा उपरोक्त को गन्दी–गन्दी गालियाँ देकर साशय अपमानित करते हुए इस आशय से प्रकोपित किया कि ऐसे प्रकोपन से वह लोकशान्ति भंग कर देता। इस प्रकार आप लोगों ने ऐसा कृत्य किया जो भा.दं.सं. की धारा **504** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध की कोटि में आता है और मेरे संज्ञान में है।

तृतीय – यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप अभियुक्तगण ने वादी मुकदमा उपरोक्त को जान से मारने की धमकी इस आशय से दी कि उसको संत्रास कारित किया जाये। इस प्रकार आप लोगों ने ऐसा कृत्य किया जो भा.दं.सं. की धारा **506** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध की कोटि में आता है और मेरे संज्ञान में है।

चतुर्थ– यह कि आप अभियुक्तगण उपरोक्त ने उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान में वादी मुकदमा उपरोक्त को उपहति कारित करने की तैयारी करके उसके घर में घुस कर अतिचार किया और उसके द्वारा आप अभियुक्तगण ने ऐसा अपराध कारित किया जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा **452** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध की कोटि में आता है और मेरे संज्ञान में है।

मैं एतदद्वारा निर्देश देता हूँ कि आप लोगों का इस न्यायालय द्वारा उपरोक्त आरोपों पर विचारण किया जाए।

दिनांक : 27.05.2022　　　　　　　　　　**(शैलेश पाण्डेय)**
सिविल जज(एस०डी०)/ए०सी०जे०एम०
कुशीनगर।

उपरोक्त आरोपों को पढ़कर अभियुक्तगण को सुनाया व समझाया गया। अभियुक्तगण ने आरोपों से इन्कार करते हुए विचारण की माँग की।

दिनांक : 27.05.2022　　　　　　　　　　**(शैलेश पाण्डेय)**
सिविल जज(एस०डी०)/ए०सी०जे०एम०
कुशीनगर।

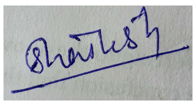

Digitally signed by SHAILESH PANDEY
Date: 2022.05.25 22:42:09 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court